


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

विभागीय आदेशांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था.समा./2016-17 दिनांक 20.10.2016 के द्वारा श्री कुंजलाल मीणा, प्रधानाचार्य, राउमावि, बापी (दौसा) से राउमावि, उदपुरा-चित्तौड़गढ़ तथा श्रीमती सुमन राठौड़ का राउमावि, उदपुरा-चित्तौड़गढ़ से राउमावि, बापी (दौसा) किये गये स्थानान्तरण पर अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या-3532/2016 श्री कुंजलाल मीणा बनाम सरकार प्रकरण में अपील अधिकरण के निर्णय आदेश दिनांक 30.10.2017 में प्रदत्त स्वतंत्रता के मध्यनजर प्रशासनिक आधार पर राज्यहित में श्री कुंजलाल मीणा का पदस्थापन संशोधित किया जाकर GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL BIHADA, JAHAI PUR (08241000504) जिला भीलवाड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है।

सम्बन्धित कार्मिक तत्काल शाला-दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही शाला-दर्पण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्ट्रॉज किया जाना भी सुनिश्चित करावें।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक-03.04.18

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/अपील-3532/कुंजलाल/2016/  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
03. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा।
04. जिला शिक्षा अधिकारी, माशि (विधि) जयपुर।
05. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
06. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
07. संबन्धित संस्था प्रधान/संबन्धित कार्मिक को सूचनार्थ।
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

विभागीय आदेशांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था.समा./2016-17 दिनांक 19.10.2016 के द्वारा श्री मंगलाराम जाटव, प्रधानाचार्य, राउमावि, बुटोली-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) से राउमावि, कालेसरिया-देवगढ़ (राजसमन्द) किये गये स्थानान्तरण पर अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या-3160/2016 श्री मंगलाराम बनाम सरकार प्रकरण में अपील अधिकरण के निर्णय आदेश दिनांक 30.10.2017 में प्रदत्त स्वतंत्रता के मध्यनजर प्रशासनिक आधार पर राज्यहित में श्री मंगलाराम जाटव का पदस्थापन संशोधित किया जाकर GOVT. AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL HAMEERPURA, BLOCK-THANAGAZI, ALWAR (08061001205) में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है।

सम्बन्धित कार्मिक तत्काल शाला-दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही शाला-दर्पण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित करावें।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 03.04.18

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/अपील-3160/मंगलाराम/2016/  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
03. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा।
04. जिला शिक्षा अधिकारी, माशि (विधि) जयपुर।
05. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
06. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
07. संबन्धित संस्था प्रधान/संबन्धित कार्मिक को सूचनार्थ।
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

विभागीय आदेशांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था.समा./2016-17 दिनांक 19.10.2016 के द्वारा श्रीमती सुषमा देवी, प्रधानाचार्य, राउमावि, मावता-झुन्डुनू से राउमावि, बेगसर-डीडवाना (नागौर) किये गये स्थानान्तरण पर अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या-3162/2016 श्रीमती सुषमा देवी बनाम सरकार प्रकरण में अपील अधिकरण के निर्णय आदेश दिनांक 13.11.2017 में प्रदत्त स्वतंत्रता के मध्यनजर प्रशासनिक आधार पर राज्यहित में श्रीमती सुषमा देवी का पदस्थापन संशोधित किया जाकर इन्हें नवक्रमोन्नत राउमावि, ढाणा बाग जिला झुन्डुनू में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है।

सम्बन्धित कार्मिक तत्काल शाला-दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही शाला-दर्पण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्ड्रॉज किया जाना भी सुनिश्चित करावें।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 03.04.18

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/अपील-3162/सुषमादेवी/2016/  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
03. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा।
04. जिला शिक्षा अधिकारी, माशि (विधि) जयपुर।
05. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
06. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
07. सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ।
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या-3202/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2016 द्वारा अपीलार्थी श्री रमेश चन्द्र गोठवाल, प्रधानाचार्य, राउमावि, चोसला जिला नागौर के पक्ष स्थगन प्रदान किये जाने पर उक्त विद्यालय में दोहरा पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अतः माननीय सिविल अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2017 की पालना में उक्त विद्यालय में दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करते हुए निम्नानुसार पदस्थापन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
01	श्री रमेश चन्द्र गोठवाल, प्रधानाचार्य	GOVT HR SEC SCHOOL, CHOSLA (NAGAUR)	GOVT. SR. SEC. SCH. MORLA, MALPURA (08220107702)	टोंक

सम्बन्धित कार्मिक तत्काल शाला-दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही शाला-दर्पण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित करावें।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/अपील संख्या-3202/रमेशचन्द्रगोठवाल/2016 दिनांक:- 04/04/2018  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
03. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा।
04. जिला शिक्षा अधिकारी, माशि (विधि) जयपुर।
05. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
06. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
07. सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ।
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर